्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–105 / 2023 दायर दिनांक–: 13.06.2023

CMS NO:- 2023/175 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. महावीर सिंह आ0 रामनारायण जाति दरोगा नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।
2. विमला कंवर आ0 रामनारायण जाति दरोगा नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।
3. संतोष कंवर आ0 रामनारायण जाति दरोगा नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।
4. सुमन कंवर आ0 रामनारायण जाति दरोगा नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैनवॉ जिला बन्दी।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की तरमीमशुदा कृषि भूमि ग्राम बाछोला तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 2356 / 699, 2358 / 700, 2362 / 817, 2364 / 818, 2366 / 880, 2368 / 877, 878 कुल किता 7 कुल रकबा 1.7231 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थीगण को पुश्तेनी भूमि के न्यायालय श्रीमान के विभाजन वाद संख्या 95 / 2012 की डिक्री दिनांक 27.06.2017 की पालना मे प्राप्त हुई है जिसमे खातेदार प्रार्थीगण की माता पुष्पादेवी की मृत्यु तो उक्त वाद के पूर्व ही दिनांक 08.02.2011 को ही हो चुकी थी। इस कारण मृतका के वारीसान प्रार्थीगण द्वारा ही वाद पेश कर वाद डिक्री करवाया गया था जिसकी पालना मे नामान्तरकरण अंकन मे पुष्पादेवी का अंकन कर अनावश्यक परेशानी पैदा कर दी है जिस कारण उक्त नाम का अंकन काा डिलीट करवाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि को पडोसियों द्वारा कब्जा करने का अंदेशा है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को अनेक बार प्रार्थना पत्र देकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने बाबत् पेश किया गया लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की। यह कि उपरोक्त खातेदार पुष्पादेवी का नाम डिलीट करवाकर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकार व आधिपत्य व तरमीमशुदा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 30.5.2022 को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र देने से उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकर किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा उनकी कृषि भूमि ग्राम बाछोला तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 2356 / 699, 2358 / 700, 2362 / 817, 2364 / 818, 2366 / 880, 2368 / 877, 878 कुल किता 7 कुल रकबा 1.7231 हैक्टयर की पत्थरगढी व पुष्पादेवी का नाम डिलीट करवाना चाहते है, उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त ही नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा